

7-9-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित तहसीलदार
मांडल से बरेवाड़ा प्रस्ताव आगी तक अप्राप्त बरेवाड़ा
प्रस्ताव मंगवाने हेतु पुनः तहसीलदार मांडल को
लिखता जाये। वास्ते पत्रावली में देखके बरेवाड़ा
प्रस्ताव हेतु नियत दिनांक 14-9-21 को पेश हो।

14/21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक [7:11:21] को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी मांडल

17/21 पत्रावली प्रशासन गोबो के संग अभियान 2021
केम्प सेतोकपुरा ग्राम पंचायत में पेश हुई।
तहसीलदार मांडल से विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त हुआ। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों
ने विभाजन प्रस्ताव की स्वीकार किया।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा
उभयपक्षों में विभाजन प्रस्ताव की स्वीकार
दिये जाने से बफील वादिया का वापस
स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव
के आधार पर वादिया ऐप प्रतिवादिया
के महय निम्नोदित नुसार आराजियात का
अपने-अपने हिससेनुसार राजस्व वेकार्ड में
अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है
उसी अनुसार राजस्व वेकार्ड में अंकन किया
जावे।

1. श्रीमती अलका पं० श्री मलेश कुमार जैयलिया जिपासी
शास्त्रीनगर भीलवाड़ा 2/3 खातेदार
आराजियात ग्राम जालरवांजी करवेडा परवार हल्का
सेतोकपुरा त० मांडल



आराजी नं० 7729/3
रकमा 1-06

[वादिया]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भय इमिदाल्म जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जारी

2. श्रीमती रईशा बाबू पं. डी मुस्तकिम शर्मा पठान
निवासी लाल खाजी का खेड़ा तह मांडल 1/3
मुसलमान सा. [प्रतिवादी]

आराजी नं. 7729/2

शकबा 0-13

उक्तानुसार भूमि वादी ऐव प्रतिवादी
शं. 1 के नाम हक हिलेनुसार तहसीलदार
मांडल राजस्व रेकार्ड में दर्ज करे।
शर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन
करे। उदनुसार डिडी जारी हो।
पजावली फौल्ला शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री डा० पूजा सक्सेना (आ००१०१००)

अनवान प्रकरण

श्री मती अलका प० श्री मदेश कुमार जैथलिया निवासी
शास्त्रीनगर भीलवाड़ा

वादी

बनाम

श्री मती रईसा बाबू प० श्री मुस्तकिम खां पटान निवासी
बालखांजी कारखेड़ा तहसील-माण्डल

राजस्थान राज्य जरीए तहसील कारखेड़ा-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा नं०/वर्ष 08/20 निर्णय दिनांक 17-11-21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई व श्री राजेश प्रतिवादी A/c मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर
डिक्री बहस वादिया विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 के इस आशय की जारी की जाती
है कि गाम बालखांजी कारखेड़ा परवार हल्का सेलोकपुरा तट माण्डल मे स्थित
मिम्नोहित आराजियात विभाजन अनुसार वादिया एव प्रतिवाडिया सं० 1 के
नाम क हिस्सेनुसार राजस्व बेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है

1. श्रीमति अलका प० श्री मदेश कुमार जैथलिया 2/3 सा० शास्त्रीनगर भीलवाड़ा

आराजी नं० 7729/3

रकबा 1-06

आज तारीख 17-11-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

